रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230024
CG-DL-E-29092021-230024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
No. 416]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

फा.स. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2021/एन-01.—कतिपय विनियमों में और संशोधन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020, जिस में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारुप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त उप-धारा (2) की अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित करती है और यह नोटिस दिया गया है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती है।

आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारुप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2021 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'उक्त विनियम' कहा गया है), –

(1) विनियम 5 में,

(I) उप-विनियम 5(3) में,

(i) खंड (ख) (ii) (ग) में,

(क) 'परन्तु' से आरंभ होने वाले और '0.5% से अधिक हो ।' पर समाप्त होने वाले दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"परन्तु कि सैच्युरेटिड और ट्रांस वसा की मात्रा केवल तब ही बताई जाएगी जब अंतिम रूप से निर्मित खाद्य में वसा की कुल मात्रा 0.5% से अधिक हो।"

(ख) दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगाः

"यह और कि कोलेस्ट्रोल की मात्रा केवल उन उत्पादों के लिए बताई जाएगी जो पशु मूल के वसाओं से युक्त हों और जिनमें वसा की कुल मात्रा 0.5% से अधिक हो।"

(ii) खंड (ग) (xi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(xi)च्यूइंग गम और बबल गम";

(II) उप-विनियम 5(7) में, खंड (ङ.) में, 'अनुसूची II' शब्दों के स्थान पर 'अनुसूची- I' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(III) उप-विनियम 5 (10) में, खंड (ख) (i) के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"यह कि 3 महीनों से अधिक समय तक सुरक्षित रहने वाले उत्पादों के लिए "DD/MM/YY" संरूप का प्रयोग भी किया जा सकता है"

(IV) उप-विनियम 5(14) में,

(i) खंड (i) में, "धान्य के नाम के रूप मे घोषित किए जाएँ(;" शब्दों के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"अपवादः

(क) डेक्स्टरोज़ सहित गेंहू आधारित ग्लूकोज सीरप*

(ख) गेंहू आधारित माल्टोडेक्स्ट्रिन्स*

(ग) बाजरा आधारित ग्लूकोज सीरप

(घ) कृषि मूल की ईथाइल एल्कोहल सहित एल्कोहलीय आसव बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला अनाज;

*और इनके उत्पाद, बशर्ते कि इन अवयवों को सुरक्षित माना गया हो और ग्लूटेन 20 मिलीग्राम/किलोग्राम से अधिक ना हो।"

(ii) "परंतु यह कि" से आरंभ होने वाले और "अपेक्षाओं से मुक्त हैं।" पर समाप्त होने वाले दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"यह और कि यह घोषणा इन संघटकों से बनने वाले तेलों और आसुत एल्कोहलीय बीवरेज के मामले में और जहाँ उत्पाद स्वयं खाद्य एलर्जिन हो वहाँ आवश्यक नहीं है।"

(2) उप-विनियम 6 (3) में,

(I) टेबल I में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:-

टेबल I

प्रमुख प्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल	mm में संख्या और अक्षर का न्यूनतम आकार	
	साधारण मामला	ब्लोन, सॉचित अथवा धारक पर छिद्रित होने पर
200 cm^2 तक	1	2
200 cm^2 से लेकर 500 cm^2 तक	2	4
500 cm^2 से लेकर 2500 cm^2 तक	3	5
2500 cm^2 से अधिक	6	8

(II) "परंतु यह कि" से आरंभ होने वाले और "उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार हो।" पर समाप्त होने वाले पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगाः

"यह और कि रिटर्नेबल काँच की बोतल के शीर्ष/ढक्कन पर इन विनियमों के अंतर्गत सभी घोषणाओं में संख्या और/या अक्षर का आकार 1 mm से कम नहीं होगा।"

(3) विनियम 7 में, उप-विनियम (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"यह कि कैलोरी/गैर कैलोरी वाले मीठाकारक या उनके मिश्रण युक्त 30 cm^2 तक के सतह-क्षेत्र वाले खाद्य पैकेज के मामले में अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विशेष आवश्यकताओं/घोषणाओं में संख्याओं और अक्षरों का आकार अक्षर I पर आधारित 1mm से कम नहीं होगा।";

(4) उप-विनियम 8 में, खंड (1) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(1) (क) 30 वर्ग से.मी. से कम सतह-क्षेत्र वाले पैकेज पर 'निर्माण तिथि' का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी पर यह सूचना बहु-इकाई पैकेजों पर दी जाएगी।";

(5) अनुसूची II में,

(I) उपबंध 1(1)(3) में, "बशर्ते कि यदि उत्पाद" से आरंभ होने वाले और "घोषित की जाएगी।" पर समाप्त होने वाले परंतुक में, 'ppm में' शब्द के स्थान पर "(mg/100ml या mg/100gm)" प्रतिस्थापित किया जाएगा

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./281/2021-22]

नोटः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा. सं0 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी(लैबलिंग)/2014 (भाग 2), दिनांक 17 नवंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गए थे- ;

(1) फा. सं0. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02, तारीख 10 सितम्बर , 2021

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2021

F. No. Std/SP-08/A-1.2021/N-01.—The following draft of certain regulations to further to amend the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India with previous approval of Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub section (2) of section 92 read with section 23 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified shall be considered by the Food Safety and Standards authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2021.

2. In the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (herein after refer as said regulations),-

(1) In regulation 5,

(I) In sub-regulation 5(3),

(i) in clause (b)(ii)(C),

(a) The second proviso starting with 'provided that' and ending with "more than 0.5%" shall be substituted with:

"Provided that saturated fat and trans fat to be given only if total fat content is more than 0.5% in final food."

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted:

"Provided further that cholesterol content to be given only for products containing fats of animal origin and where total fat content is more than 0.5%."

(ii) for clause (c)(xi), the following shall be substituted, namely:

" (xi)Chewing gum and bubble gum";

(II) In sub-regulation 5(7), in clause (e), the words 'Schedule II' shall be substituted with 'Schedule I'.

(III) In sub-regulation 5 (10), under clause (b) (i) the following shall be inserted, namely:

"Provided that for products with shelf life of more than 3 months, the "DD/MM/YY" format may also be used.

(IV) In sub-regulation 5(14),

(i) In clause (i), after the words "name of the cereal);", the following shall be inserted, namely:

"except:

(a) wheat based glucose syrups including dextrose*

(b) wheat based maltodextrins*;

(c) glucose syrups based on barley;

(d) cereals used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin;

*And the products thereof, provided these ingredients have been assessed as safe and gluten shall not be more than 20 mg/kg ."

(ii) the second proviso starting with "provided further" and ending with "ingredients" shall be substituted with following: -

"Provided further that this declaration is not required in case of oils and distilled alcoholic beverages derived from these ingredients and where the product itself is a food allergen."

(2) In sub-regulation 6 (3),

(I) For Table I the following shall be substituted, namely: -

Table I

Area of Principal Display Panel	Minimum Height of numeral and letter in mm	
	Normal case	When Blown, formed Moulded, or perforated on container
Upto 200 cm^2	1	2
Above 200 cm^2upto 500 cm^2	2	4
Above 500 cm^2upto 2500 cm^2	3	5
Above 2500 cm^2	6	8

(II) After first proviso starting with words "Provided that" and ending with "made there under", the following proviso shall be inserted:

"Provided further that the size of numeral and/or letter required for all declarations under these regulations on the crown/closure of returnable glass bottle shall not be less than 1 mm."

(3) In regulation 7, under sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that in case of food package having surface area upto 30cm^2 containing caloric/ non caloric sweetener or mixture thereof, the size of numerals &letters for the declarations/specific requirements specified in schedule -II shall not be less than 1mm based on the letter l.";

(4) In sub-regulation 8, after clause (1) the following shall be inserted, namely:

"(1) (a) The 'date of manufacture' may not be required to be mentioned on the package having surface area of less than 30 square centimeters but this information shall be given on the multi-unit packages.;"

(5) In Schedule II,

(I) for provision 1(1)(3), in proviso starting with "provided if" and ending with "ingredients", the word '(in ppm)' shall be substituted with "(in mg/100ml or mg/100gm)"

(II) under provision 1(6),

(i) the word "OR" shall be omitted

(ii) the word "OR" shall be inserted after the words "CRUSH THE BOTTLE AFTER USE" and before the words "DISPOSE THE BOTTLE RESPONSIBLY"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./281/2021-22]

Note.- The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014 (Pt-2), dated 17th November, 2020 and subsequently amended vide notification numbers.-

(1) F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-02, dated 10th September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.29 12:33:13 +05'30'